

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर.

क्रमांक:- एफ. 3 (सं. )/918/86/अलेसे-11/18191-96

दिनांक:- 06 जनवरी 2014

कार्यालय आदेश

श्री राजेश कुमार अबरोल, लेखाकार (लिनक नं. 1610) हाल पदस्थापित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर जिनकी जन्मतिथि 25.10.1955 वरिष्ठ सेवा में प्रथम नियुक्ति 01.11.1988 है, को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07.10.2013 के द्वारा चाहे-नुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1958 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 13.01.2014 मध्याह्न पश्चात् से स्वीकृत सेवानिवृत्त किए जाने से एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार अबरोल, लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विभागीय जांच लघित/प्रस्तावित नहीं है।

(वीरवाला जोशी)

निदेशक,

कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (सं. )/918/86/अलेसे-11/18191-96

दिनांक:- 06 जनवरी 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय बीकानेर।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. श्री राजेश कुमार अबरोल, लेखाकार (लिनक नं. 1610) हाल पदस्थापित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. उपनिदेशक (एसोपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संघरण हेतु।
6. निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. व्यक्तिगत फाइल।
8. रक्षित पंजीव/आदेश पंजीक।

(के. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (आर्गैक-1)  
कोष एवं लेखा विभाग